

10/11/22 को पेश हो।

7/7/22 प्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य कार्यवाही दिनांक को पेश हो।

4/8/22 प्रावली आज पेश हुई महसिलदार बस्सी से प्रावली पर जवाब पेश हो चुका है जिसे शामिल प्रावली किया गया प्रार्थना

उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

20/19 मोरी नाम / सरगार

विशेष विवरण

दिनांक आज्ञा
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

का पर वकील प्राणी को सूना गमा
 पावली एवं पावली पर मोजूद रिपोर्ट
 का सावधानी पूर्वक अवलोकन किचे
 जनि पत्रचात दम पति हो कि प्राणी को
 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 अं०
 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेक्षा
 किया हो उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत केवल
 मात्र राजस्व रिपोर्ट में लिपिकीय तुरी को
 श्रुद्ध किया जा सकता है किन्तु प्राणी को
 द्वारा दीरने सरलमेन्ट कार्यवाही जमाकरी
 में श्वतीपराण का नाम अंकित नहीं होने
 से हाल राजस्व रिपोर्ट में प्राणी का नाम
 व हिसा दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र
 पेक्षा किया है जो कि धारा 136 अं० राजस्व
 अधिनियम 1956 की परिष्ठा में नष्ट आता है
 धारा-136 एल - एन में केवल मात्र लिपिकीय
 तुरी राजस्व रिपोर्ट में श्रुद्ध किया जा सकता
 है प्राणी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में पाहा
 गया अशुतोष लिपिकीय तुरी के अन्तर्गत
 नही आता है प्राणी के द्वारा पाहा गमा अशुतोष
 प्राणी प्रथक से सशम धारा एवं सशम
 न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है उपरोक्त
 विवेचन के आधार पर प्राणी का प्रार्थना
 सारहीन होने से सशम किया जाता है
 पावली जसल श्रुद्धा होकर वधिमन्ट सिक्मही

20
 उप सचिव जधिकारी
 बस्ती (जिला जयपुर)